

1130/1520

5

Witness No.

Description Sheet No.

अतः उक्त अधिवक्ता शान्त पन्थारी गोहद को पत्र

15/11/16

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।

आरोपीगण भारत सिंह, अहिवरन एवं दीपराज सहित एवं सोनू एवं मोनू की ओर से श्री संजय सिंह गुर्जर अधिवक्ता ने उपस्थित होकर स्वयं का अभिभाषक पत्रक प्रस्तुत किया।

प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

आरोपीगण सोनू एवं मोनू की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जाने का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

इसी प्रास्थिति पर आहतगण/फरियादी तथा आरोपीगण ने उपस्थित होकर उनके मध्य राजीनामे की चर्चा हेतु प्रकरण मीडिएशन के लिए रैफर किये जाने का निवेदन किया।

निवेदन सद्भावी प्रतीत होने से विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

प्रकरण प्रशिक्षित मीडिएटर श्री ए.के.गुप्ता को रैफरल ऑर्डर सहित प्रेषित किया जाये।

प्रकरण मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

जे.एम.एस.सी. गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्।

मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्त, जिसके अनुसार उभय पक्ष के मध्य शमन कार्यवाही करने हेतु सहमति बन गई है।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी जगदीश पुत्र पहलवान सिंह, एवं गंधर्व पुत्र जगदीश सिंह, निवासी-ग्राम अतरसोहा ने उनके अधिवक्ता श्री बी.एस.गुर्जर के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

फरियादी/आवेदक जगदीश एवं गंधर्व ने उसके अधिवक्ता श्री बी.एस.गुर्जर के साथ उपस्थित होकर अभियुक्तगण पर लगे धारा 147, 294, 323/149, 325/149 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 "02" द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

फरियादी जगदीश एवं गंधर्व अभियोजित अपराध

GRPC/272-11940-003/149, 325/149 भा.द.सं. का

पक्षकार शर्मा

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम-श्रेणी
गोहद जिला-मिण्ड (म.प्र.)

जगदीश
गंधर्व

अधिवक्ता
श्री संजय सिंह गुर्जर

आरोपीगण
भारत सिंह, अहिवरन, दीपराज

सोनू, मोनू

अधिवक्ता
श्री बी.एस.गुर्जर

मीडिएटर
श्री ए.के.गुप्ता

Witness No. _____

Description Sheet No. _____

फरियादी जगदीश एवं गधर्व अभियोजित अपराध की धारा 147, 294, 323/149, 325/149 भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उनकी पहचान श्री बी.एस.गुर्जर अधिवक्ता द्वारा की है। आहतगण की पहचान उनके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तगण और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपीगण द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्ध अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजित की धारा 147, 294, 323/149, 325/149 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदनुसार अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 147, 294, 323/149, 325/149 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण में आरोपीगण दीपराज, सोनू, अहिवरन एवं भारत सिंह से जब्तशुदा एक-एक लाठी मूल्यहीन होने से नष्टकर व्ययनित की जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में लेखबद्ध कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।

जे.एम.एफ.सी. गोहद
पंकज शर्मा

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम-श्रेणी
गोहद, जिला-बिड़र (न.प्र.)